

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर  
पीताश्रीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)  
ताद सं० : 159 सन 2022  
अनवान :-

1. अमीलाल पुत्र रावताराम जाति मेघवाल निवासी ललानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

1. माजूराम पुत्र देदाराम जाति मेघवाल निवासी ललानिया तहसील नोहर।
2. शंकरलाल पुत्र देदाराम जाति मेघवाल निवासी ललानिया तहसील नोहर।
3. सुणाराम पुत्र देदाराम जाति मेघवाल निवासी ललानिया तहसील नोहर।
4. मोहनलाल पुत्र पन्नाराम जाति मेघवाल निवासी ललानिया तहसील नोहर।
5. सोहनलाल पुत्र पन्नाराम जाति मेघवाल निवासी ललानिया तहसील नोहर।
6. हरदत्त पुत्र पन्नाराम जाति मेघवाल निवासी ललानिया तहसील नोहर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

8. मौजीराम पुत्र रावताराम जाति मेघवाल निवासी ललानिया तहसील नोहर।
9. नेकीराम पुत्र रावताराम जाति मेघवाल निवासी ललानिया तहसील नोहर।
10. केसराराम पुत्र रावताराम जाति मेघवाल निवासी ललानिया तहसील नोहर।
11. मनीराम पुत्र रावताराम जाति मेघवाल निवासी ललानिया तहसील नोहर।
12. मांगीलाल पुत्र रावताराम जाति मेघवाल निवासी ललानिया तहसील नोहर।
13. सगेरता पुत्री रावताराम जाति मेघवाल निवासी ललानिया तहसील नोहर।

तरतीबी प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपरिष्ठत : श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 24/03/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद 'अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा ललानिया के खाता संख्या 109/95 की कुल 7.8680हैक् प्रतिवादी संख्या 1 के नाम , खाता संख्या 166/155 की कुल 7.8680हैक् प्रतिवादी संख्या 2 , खाता संख्या 192/178 की कुल 7.8680हैक् प्रतिवादी संख्या 3 , खाता संख्या 146/136 की कुल 14.4460हैक् प्रतिवादी संख्या 8 ता 13 के पिता शंकरलाल व खाता संख्या 117/103 की कुल 7.8680हैक् भूमि प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 के नाम से दर्ज है

रावताराम , माजूराम , शंकरलाल, सुणाराम व पन्नाराम सगे भाई थे पाचों भाईयो की रोही मौजा ललानिया में 155.10 बीघा भूमि थी पूर्व में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 ने वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या के पिता रावताराम का अनपढ का फायदा उठा कर अच्छी किस्म की भूमि अपने नाम दर्ज करा ली जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गई

रावताराम पुत्र देदाराम का देहानत हो गया है रावताराम पुत्र देदाराम के जायज वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 8 ता 13 है जो रावताराम के हक हिस्सा की भूमि को अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ,8 ता 13 के मध्य परिवार की शान्ति बनाई रखने के लिये पूर्व में हुए बाहमी बटवारा में संशोधन करते हुए काश्त की सुविधा एवं भूमि किस्म के अनुसार आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर लिया उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है परन्तु वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ,8 ता 13 के बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है जिसे बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ,8 ता 13 को कई मर्तबा कहा की वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ,8 ता 13 के बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

उपखण्डाधिकारी  
नोहर

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 एव 8 ता 13 के पिता के नाम से दर्ज भूमि वादी एव प्रतिवादीगण के बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे। वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ,8 ता 13 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ,8 ता 13 ने निवेदन किया की वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 एवं वादी के पिता रावताराम के नाम से दर्ज है वादी के पिता रावताराम पुत्र देदाराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 8 ता 13 है जो रावताराम के नाम दर्ज भूमि को पाने के अधिकारी है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 , वादी एव प्रतिवादी संख्या 8 ता 13 ने निवेदन किया की पूर्व में हुआ बटवारा किस्म भूमि के अनुसार नहीं था इसलिये वादी एव प्रतिवादीगण ने आपसी सहमति से अपने हक हिस्सा किस्म भूमि के अनुसार भूमि काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पुनः बाहमी बटवारा किया गया है उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है परन्तु राजस्व रिकार्ड में वादी एव प्रतिवादीगण के पुनः बटवारा के अनुसार भूमि दर्ज नहीं है जिसे वादी एव प्रतिवादीगण के पुनः बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 7 परोकार राज ने जबाब पेश किया. की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा ललानिया के खाता संख्या 109/95 की कुल 7.8680हैक् प्रतिवादी संख्या 1 के नाम , खाता संख्या 166/155 की कुल 7.8680हैक् प्रतिवादी संख्या 2 , खाता संख्या 192/178 की कुल 7.8680हैक् प्रतिवादी संख्या 3 , खाता संख्या 146/136 की कुल 14.4460हैक् प्रतिवादी संख्या 8 ता 13 के पिता शंकरलाल व खाता संख्या 117/103 की कुल 7.8680हैक् भूमि प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 के नाम से दर्ज है

रावताराम , माडुराम , शंकरलाल, सुणाराम व पन्नाराम सगे भाई थे पाचों भाईयो की रोही मौजा ललानिया में 155.10 बीघा भूमि थी पूर्व में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 ने वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या के पिता रावताराम का अनपढ का फायदा उठा कर अच्छी किस्म की भूमि अपने नाम दर्ज करा ली जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गई

रावताराम पुत्र देदाराम का देहान्त हो गया है रावताराम पुत्र देदाराम के जायज वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 8 ता 13 है जो रावताराम के हक हिस्सा की भूमि को अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ,8 ता 13 के मध्य परिवार की शान्ति बनाई रखने के लिये पूर्व में हुए बाहमी बटवारा में संशोधन करते हुए काश्त की सुविधा एवं भूमि किस्म के अनुसार आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर लिया उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है परन्तु वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ,8 ता 13 के बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है जिसे बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायाधिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पत्ति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ललानिया के खाता संख्या 109/95 की कुल 7.8680हैक् प्रतिवादी संख्या 1 के नाम , खाता संख्या 166/155 की कुल 7.8680हैक् प्रतिवादी संख्या 2 , खाता संख्या 192/178 की कुल 7.8680हैक् प्रतिवादी संख्या 3 , खाता संख्या 146/136 की कुल 14.4460हैक् प्रतिवादी संख्या 8 ता

13 के पिता शंकरलाल व खाता संख्या 117/103 की कुल 7.8680हैक् भूमि प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 के नाम से दर्ज है

पूर्व में वाद भूमि रावताराम , माडुराम , शंकरलाल, सुणाराम व पन्नाराम सगे भाई थे पाचों भाईयो की रोही मौजा ललानिया में 155.10 बीघा भूमि थी जिनका आपसी सहमति से बटवारा किया गया था उसी के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गई किन्तु पूर्व बटवारा सहवन से सही तोर से नहीं हुआ अच्छी किस्म की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 को प्राप्त हो गई इसलिये परिवार की शान्ति बनाये रखने के लिये वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ,8 ता 13 ने आपसी सहमति से भूमि किस्म भूमि काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पुनः बाहमी बटवारा किया गया उसी के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है वादी के कथनो को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ,8 ता 13 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वादी एव प्रतिवादीगण के मध्य हुए बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है।

वादी का कथन है रावताराम पुत्र देदाराम का देहान्त हो गया है जिसके जायज वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 8 ता 13 है जो रावताराम पुत्र देदाराम के नाम से दर्ज भूमि को बाहमी बटवारा में प्राप्त भूमि को अपने नाम से दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 8 ता 13 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ,8 ता 13 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं परोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ललानिया के खाता संख्या 109/95 की कुल 7.8680हैक् प्रतिवादी संख्या 1 के नाम , खाता संख्या 166/155 की कुल 7.8680हैक् प्रतिवादी संख्या 2 , खाता संख्या 192/178 की कुल 7.8680हैक् प्रतिवादी संख्या 3 , खाता संख्या 146/136 की कुल 14.4460हैक् प्रतिवादी संख्या 8 ता 13 के पिता रावताराम व खाता संख्या 117/103 की कुल 7.8680हैक् भूमि प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 के नाम से दर्ज है को निम्नप्रकार से दर्ज किया जाता है।

प्रतिवादी संख्या 1 माडुराम के पास रोही मौजा ललानिया के खसरा न0 40/2 की 5.523हैक् खसरा न0 263/2 की 2.345हैक् कुल 7.868हैक् भूमि रहेगी।

प्रतिवादी संख्या 2 शंकरलाल के पास रोही मौजा ललानिया के खसरा न0 40/1 की 5.523हैक् व खसरा न0 263/1 की 2.345हैक् कुल 7.868हैक् भूमि रहेगी।


प्रतिवादी संख्या 3 सुणाराम के पास रोही मौजा ललानिया के खसरा न0 39/3 की 2.783हैक् खसरा न0 40/5 की 2.740हैक् खसरा न0 263/5 की 2.345हैक् कुल 7.868हैक् भूमि रहेगी।

प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 के पास रोही मौजा ललानिया के खसरा न0 39/2 की 2.783हैक् खसरा न0 40/4 की 2.740हैक् खरा न0 263/4 की 2.345हैक् कुल 7.868हैक् भूमि रहेगी

वादी व प्रतिवादी संख्या 8 ता 13 के सयुक्त तौर से बहिब रोही मौजा ललानिया के खसरा न0 39/1 की 2.252हैक् खरा न0 40/3 की 3.271हैक् खसरा न0 263/3 की 2.345हैक् कुल 7.868हैक् भूमि रहेगी ।

इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 200/-रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 24/03/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

  
उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
नोहर ( हनुमानगढ़ )

## पर्चा डिक्री

( आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी )

### न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. अमीलाल पुत्र रावताराम जाति मेघवाल निवासी ललानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़। वादी

#### बनाम

1. माडूराम पुत्र देदाराम जाति मेघवाल निवासी ललानिया तहसील नोहर।
2. शंकरलाल पुत्र देदाराम जाति मेघवाल निवासी ललानिया तहसील नोहर।
3. सुणाराम पुत्र देदाराम जाति मेघवाल निवासी ललानिया तहसील नोहर।
4. मोहनलाल पुत्र पन्नाराम जाति मेघवाल निवासी ललानिया तहसील नोहर।
5. सोहनलाल पुत्र पन्नाराम जाति मेघवाल निवासी ललानिया तहसील नोहर।
6. हरदत्त पुत्र पन्नाराम जाति मेघवाल निवासी ललानिया तहसील नोहर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़। प्रतिवादीगण
8. मौजीराम पुत्र रावताराम जाति मेघवाल निवासी ललानिया तहसील नोहर।
9. नेकीराम पुत्र रावताराम जाति मेघवाल निवासी ललानिया तहसील नोहर।
10. केंसराराम पुत्र रावताराम जाति मेघवाल निवासी ललानिया तहसील नोहर।
11. मनीराम पुत्र रावताराम जाति मेघवाल निवासी ललानिया तहसील नोहर।
12. मांगीलाल पुत्र रावताराम जाति मेघवाल निवासी ललानिया तहसील नोहर।
13. समेस्ता पुत्री रावताराम जाति मेघवाल निवासी ललानिया तहसील नोहर।

तरतीबी प्रतिवादीगण

#### वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 159 सन 2022 निर्णय दिनांक-24/03/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व ) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ललानिया के खाता संख्या 109/95 की कुल 7.8680हैक प्रतिवादी संख्या 1 के नाम , खाता संख्या 166/155 की कुल 7.8680हैक प्रतिवादी संख्या 2 , खाता संख्या 192/178 की कुल 7.8680हैक प्रतिवादी संख्या 3 , खाता संख्या 146/136 की कुल 14.4460हैक प्रतिवादी संख्या 8 ता 13 के पिता रावताराम व खाता संख्या 117/103 की कुल 7.8680हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 के नाम से दर्ज है को निम्नप्रकार से दर्ज किया जाता है।

प्रतिवादी संख्या 1 माडूराम के पास रोही मौजा ललानिया के खसरा न0 40/2 की 5.523हैक खसरा न0 263/2 की 2.345हैक कुल 7.868हैक भूमि रहेगी।

प्रतिवादी संख्या 2 शंकरलाल के पास रोही मौजा ललानिया के खसरा न0 40/1 की 5.523हैक व खसरा न0 263/1 की 2.345हैक कुल 7.868हैक भूमि रहेगी।


प्रतिवादी संख्या 3 सुणाराम के पास रोही मौजा ललानिया के खसरा न0 39/3 की 2.783हैक खसरा न0 40/5 की 2.740हैक खसरा न0 263/5 की 2.345हैक कुल 7.868हैक भूमि रहेगी।

प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 के पास रोही मौजा ललानिया के खसरा न0 39/2 की 2.783हैक खसरा न0 40/4 की 2.740हैक खरा न0 263/4 की 2.345हैक कुल 7.868हैक भूमि रहेगी

वादी व प्रतिवादी संख्या 8 ता 13 के सयुक्त तौर से बहिब रोही मौजा ललानिया के खसरा न0 39/1 की 2.252हैक खरा न0 40/3 की 3.271हैक खसरा न0 263/3 की 2.345हैक कुल 7.868हैक भूमि रहेगी।

इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 200/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 24/03/22 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई

  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
नोहर (हनुमानगढ़)